रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 1988/श्रावण 10, 1910
No. 415] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 1988/SRAVANA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1988

अधिसूचनाएं

सं. 228/88-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 824(अ) :—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मशीनरी, उपस्करों, उपकरणों, संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों, कच्ची सामग्री और खाने वाले माल को, जो रक्षा मंत्रालय के हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम संबंधी माल के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं, जब उसका नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट उसके लिए प्राधिकृत कार्य केन्द्र द्वारा भारत में आयात किया जाए,—

(i) उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि प्राधिकृत कार्य केन्द्र आयात के समय प्रत्येक मामले में सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को आयात किए जाने वाले हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम संबंधी माल की सूची, ऐसे माल के सुसंगत वर्णन सहित प्रस्तुत करे जो :—

(i) ज्येष्ठ प्रबंधक, वैमानिक विकास अभिकरण द्वारा इस आशय के लिए सम्यक रूप से प्रमाणित हो कि,—

(क) सूची में वर्णित हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम संबंधी माल रक्षा मंत्रालय के हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है,

(ख) ऐसा माल भारत में विनिर्मित नहीं किया जाता है,

(ग) उसका उपयोग केवल उक्त कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, और

(ii) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, इस आशय के लिए सम्यक रूप से प्रमाणित हो कि उक्त सूची में वर्णित हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम संबंधी माल का आयात रक्षा मंत्रालय के हल्के युद्ध वायुयान कार्यक्रम के अधीन और उसके प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत है।

सारणी

प्राधिकृत कार्यकेन्द्र

1. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ।
2. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ।
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ।
4. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ।
5. मिश्र धातु निगम, हैदराबाद ।
6. यूनक्लियर फ्यूअल काम्प्लेक्स, हैदराबाद ।
7. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ।
8. सेंट्रल मशीन टूल्स इंडिस्टीट्यूट, बंगलोर ।
9. गैस टरबाईन रिसर्च एस्टीब्लिशमेंट, बंगलोर ।
10. एरोनाटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बंगलोर ।
11. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड राडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बंगलोर ।
12. इंस्ट्रूमेंटस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, देहरादून ।
13. डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेट्री, हैदराबाद ।
14. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेट्री, हैदराबाद ।
15. एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आगरा ।
16. डिफेंस मैटीरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, कानपुर ।
17. एयरक्राफ्ट सिस्टम इन्टीग्रेशन एंड इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन, बंगलोर ।
18. डिफेंस बायो-इंजीनियरिंग एंड इलैक्ट्रो मेडिकल लेबोरेट्री, बंगलोर ।
19. डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च, दिल्ली ।
20. काम्बेट ह्यूमीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, मद्रास ।
21. नेवल कैमिकल्स एंड मेटालर्जिकल लेबोरेट्री, बम्बई ।
22. सालिडस्टैट फिजिक्स लेबोरेट्री, नई दिल्ली ।
23. इंस्टीस्टयूट आफ आर्मामेंट टेक्नालाजी, पुणे ।
24. आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, पुणे ।
25. सेंटर फार आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, बंगलोर ।
26. सेंटर फार एरोनाटिकल सिस्टम्स स्टडीज एंड एनेलिसिस, बंगलोर ।
27. डिफेंस इलेक्ट्रानिक्स एप्लिकेशनस लेबोरेट्री, देहरादून ।
28. डिफेंस लेबोरेट्री, जोधपुर ।
29. डिफेंस इलेक्ट्रानिक्स लेबोरेट्री, हैदराबाद ।
30. नेवल फिजिकल एंड ओसियेनोग्राफिक लेबोरेट्री, कोचीन ।
31. साइंटिफिक एनेलिसिस ग्रुप, दिल्ली ।
32. नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेट्री, बंगलोर ।
33. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिवेंद्रम ।
34. इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइंस, बंगलोर ।
35. इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नालाजी, मद्रास ।
36. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर ।
37. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, बम्बई ।
38. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, दिल्ली ।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 1992 तक और उस दिन को सम्मिलित करते हुए, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 463/63/86-सीमाशुल्क-V]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st August, 1988

NOTIFICATIONS

No. 228/88 CUSTOMS

G.S.R. 824(E).—In exercse of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts machinery, equipment, instruments, components, spares, raw-materials and consumables required for the purposes of the Light Combat Aircraft Programme of the Ministry of Defence (hereinafter referred to as the LCA Programme goods), when imported into India by an Authorised Work Centre therefor specified in the Table below, from :—

(i) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act :

Provided that the Authorised Work Centre produces to the Assistant Collector of Customs at the time of importation, in each case, a list of the LCA Programme goods to be imported, with the relevant description of such goods,—

(i) duly certified by the Senior Manager, Aeronautical Development Agency, to the effect,—

(a) that the LCA Programme goods mentioned in the list are required for the purposes of the Light Combat Aircraft Programme of the Ministry of Defence,

(b) that such goods are not manufactured in India,

(c) that the same shall be used only for the purposes of the said Programme; and

(ii) duly certified also by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Defence, to the effect that the import of the LCA Programme goods mentioned in the said list is authorised by the Ministry of Defence under and for the purposes of the Light Combat Aircraft Programme of the Ministry of Defence.

TABLE

THE AUTHORISED WORK CENTRES

1. Hindustan Aeronautics Limited.
2. Hindustan Machine Tools Limited.
3. Bharat Electronics Limited.
4. Indian Telephone Industries.
5. Mishra Dhatu Nigam, Hyderabad.
6. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.
7. Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad.
8. Central Machine Tool Institute, Bangalore.
9. Gas Turbine Research Establishment, Bangalore.
10. Aeronautical Development Establishment, Bangalore.
11. Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore.
12. Instruments Research and Development Establishment, Dehradun.
13. Defence Metallurgical Research Laboratory, Hyderabad.
14. Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad.
15. Aerial Delivery Research and Development Establishment, Agra.
16. Defence Materials and Stores Research and Development Establishment, Kanpur.
17. Aircraft System Integration and Engineering Organisation, Bangalore.
18. Defence Bio-Engineering and Electro Medical Laboratory, Bangalore.
19. Defence Institute of Fire Research., Delhi.
20. Combat Vehicle Research and Development Establishment. Madras.
21. Naval Chemicals & Metallurgical Laboratory, Bombay.
22. Solidstate Physics Laboratory, New eDlhi.
23. Institute of Armament Technology, Pune.
24. Armament Research & Devcopment Establishment, Pune.
25. Centre for Artificial Intelligence & Robotics Bangalore.
26. Centre for Aeronautical Systems Studies and Annalysis, Bangalore.
27. Defence Electronics Applications Laboratory, Dehradun.
28. Defence Laboratory, Jodhpur.
29. Defence Electronics Research Laboratory Hyderabad.
30. Naval Physical and Oceonographic Laboratory, Cochin.
31. Scientific Analysis Group, Delhi.
32. National Aeronautical Laboratory, Bangalore.
33. Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum.
34. Indian Institute of Science, Bangalore.
35. Indian Institute of Technology, Madras.
36. Indian Institute of Technology, Kharagpur.
37. Indian Institute of Technology, Bombay.
38. Indian Institute of Technology, Delhi.

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th day of June, 1992.

[F. No. 463|63|86-CUSTOMS-V]

सं. [illegible]/88-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 8[illegible]5(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सभी वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों साधित्रों, उपस्करों, उपसाधनों, अतिरिक्त पुर्जों और खपने वाले माल को, जब किसी लोक-निधिक अनुसंधान संस्था या किसी विश्वविद्यालय द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात "आयातकर्ता" कहा गया है) उसका आयात किया जाए,-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्:-

(क) लोकनिधिक अनुसंधान संस्था की दशा में माल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई पास-बुक के अन्तर्गत आता है और किसी विश्व विद्यालय की दशा में माल भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई पास-बुक के अन्तर्गत आता है,

(ख) किसी आयातकर्ता द्वारा खपने वाले माल के आयात का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य उक्त पास-बुक में इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख से प्रारम्भ होने वाले किसी वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है,

(ग) किसी आयातकर्ता द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों साधित्रों उपस्करों, उपसाधनों, और अतिरिक्त पुर्जों के आयात का कुल लागत बीमा भाड़ा उक्त पास बुक में इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख से प्रारम्भ होने वाले किसी वर्ष में [illegible] करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है;

(घ) किसी लोक-निधिक अनुसंधान संस्था की दशा में कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो और किसी विश्व विद्यालय की दशा में कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के

शिक्षा विभाग में उपसचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं, उक्त पास-बुक में प्रमाणित करता है कि आयातकर्ता किसी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा हुआ है और वह उक्त वर्ष में आयात के लिए कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य सीमा को विनिर्दिष्ट करता है, जिस पर आयातकर्ता खपने वाले माल का उक्त खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट लागत बीमा भाड़ा मूल्य सीमा के अधीन रहते हुए आयात कर सकता है और उक्त वर्ष में आयात के लिए उस कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य सीमा को विनिर्दिष्ट करता है जिस पर आयातकर्ता वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों साधित्रों, उपस्करों, उप साधनों और अतिरिक्त पुर्जों का उक्त खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट लागत बीमा भाड़ा मूल्य सीमा के अधीन रहते हुए आयात कर सकता है;

(ङ) यथास्थिति संस्था या विश्व विद्यालय का प्रधान प्रत्येक मामले में उक्त पास बुक में, यह प्रमाणित करता है कि आयात किया जाने वाला माल ऐसा माल है जिसका भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है, अनुसंधान प्रयोजनों के लिए, वह आवश्यक है और केवल उस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति को वह अंतरित नहीं किया जाएगा।

(च) किसी उपकरण या साधित्र या उपस्कर या उपसाधन या अतिरिक्त पुर्जे की दशा में उसकी किसी एकल मद का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा और खपने वाले माल की किसी एकलमद का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य उक्त वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

(ग) "लोकनिधिक अनुसंधान संस्थान" से ऐसी कोई अनुसंधान संस्था अभिप्रेत है, जिसकी दशा में आवर्ती व्यय के पचास प्रतिशत से अन्यून को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्व विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं-

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था;

(ii) संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई कोई संस्था;

(iii) किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे संबद्ध कोई महाविद्यालय;

(ग) "प्रधान" से अभिप्रेत है-

(i) किसी संस्था के सम्बन्ध में उसके निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो);

(ii) किसी विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में, उसका रजिस्ट्रार (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो);

(iii) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में उसका प्रधानाचार्य (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो);

[फा. सं. 346/64/88-टी. आर.]

NO. 229|88-CUSTOMS

G.S.R. 825(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all scientific and technical instruments, apparatus, equipments accessories, spare parts and consumable goods, when imported into India by a public funded research institution or a University (hereinafter called "importer"), from :—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :—

(a) in the case of a public funded research institution, the goods are covered by a Pass Book issued by the Department of Science and Technology, Government of India, and in the case of a University, the goods are covered by a Pass Book issued by the Department of Education, Government of India;

(b) the aggregate CIF value of imports of consumable goods by an importer does not exceed Rs. 50 lakhs in a year commencing from the date specified in this behalf in the said Pass Book;

(c) the aggregate CIF value of imports of scientific and technical instruments, apparatus, equipments, accessories and spare parts by an importer does not exceed Rs. 1 crore in a year commencing from the date specified in this behalf in the said Pass Book;

(d) in the case of a public funded research institution, an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Science and Technology, and in the case of a University, an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Education certifies in the said Pass Book that the importer is not engaged in any commercial activity and specifies the aggregate CIF value limit for imports in the said year upto which the importer can import consumable goods subject to the CIF value limit specified in clause (b) above and also specifies the aggregate CIF value limit for imports in the said year upto which the importer can import scientific and technical instruments, apparatus, equipments, accessories and spare parts subject to the CIF value limit specified in clause (c) above;

(e) the Head of the institution or university, as the case may be, certifies in each case, in the said Pass Book, that the goods being

imported are such as are not manufactured in India, are essential for research purposes and will be used only for that purpose and shall not be transferred to any other person;

(f) in the case of an instrument or apparatus or equipment or accessory or spare part, the CIF value of any single item thereof shall not exceed Rs. 5 lakhs, and in the case of consumable goods, the aggregate CIF value of any single item of consumable goods shall not exceed Rs. 5 lakhs in the said year.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression,—

(a) "public-funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;

(b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes:—

(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a University for the purposes of that Act;

(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;

(iii) a College maintained by, or affiliated to, a University;

(c) "Head" means :—

(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);

(ii) in reation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);

(iii) in reation to a College, the Prinicipal thereof (by whatever name called).

[F. No. 346|64|88-TRU]

सं. 230/88 सीमाशुल्क

सा.का.नि. 826(अ)/- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1988 (1988 का 26) की धारा 77 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 159/88 सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 276 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"277 सं., 228 सीमाशुल्क तारीख 1 अगस्त 1988

278-सं. 229 सीमाशुल्क तारीख 1 अगस्त, 1988."

[फा. सं. 463/63/86-सीशु—फा० सं० 346/64/88 टी.आर.यू]

टी जयारमन, अवर सचिव

No. 230|88-CUSTOMS

G.S.R. No. 826(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 77 of the Finance Act, 1988 (26 of 1988), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 159|88-Customs, dated the 13th May, 1988, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Sl. No. 276 and the entry relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

"277 No. 228|CUSTOMS, dated the 1st August, 1988.

278. No. 229|-CUSTOMS, dated the 1st August, 1988."

[F. No. 463|63|86-Customs-V—F. No. 346|64|88-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988